

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं०- 79 / 2021

सोनपुर मंडल के परिचालन विभाग(गार्ड संवर्ग) में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारियों का अंतर रेलवे/अंतर मंडलीय पारस्परिक स्थानांतरण पर दोनों मंडल की सहमति उपरांत सोनपुर मंडल के कर्मचारी का विरमण से संबंधित आदेश निम्न प्रकार जारी किया जाता है:-

क्रम सं०	सोनपुर मंडल के कर्मचारी का नाम	पारस्परिक स्थानांतरण हेतु सोनपुर मंडल द्वारा जारी सहमति पत्र	अन्य रेलवे/मंडल के कर्मचारी का नाम	पारस्परिक स्थानांतरण हेतु अन्य रेलवे/मंडल द्वारा जारी सहमति पत्र
01	श्री राम चंद्र पुत्र श्री धर्मदत्त, मेल गार्ड / सोनपुर / लेवल-06	KA/283/IR-ID/MT/ Guard/Sonpur/2020/ Part-I दिनांक-05.06.2020	श्री राजेश सिंह पुत्र स्व० झुन्नी लाल सिंह, मेल गार्ड / पूर्वोत्तर रेलवे/ लखनऊ मंडल / लेवल-06	ई/ 11/283/4/अ०२०-अ० म० स्थाना०/VII/19 दिनांक 28.12.2020

कुल 01 कर्मचारी मात्र।

पारस्परिक स्थानांतरण निम्न शर्तों के अंतर्गत अनुमेय होगा।

- I. विरमण के समय कर्मचारी डीएआर/एस०पी०ई० मामलों से मुक्त होना चाहिये।
- II. नियमानुसार दोनों कर्मचारियों को किसी प्रकार का भत्ता तथा सीटीजी/पास/स्थानांतरण अवकाश देय नहीं होगा।
- III. नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने मंडल में दुबारा स्थानांतरण नहीं लेंगे।
- IV. वरीयता पारस्परिक स्थानांतरण के नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।

अतः सोनपुर मंडल के उपरोक्त कर्मचारियों को इस कार्यालय में सत्यापित पहचान के साथ विरमित कर भेजें, जिससे संबंधित मंडल/रेलवे को विरमित किया जा सके।

उपरोक्त पर वमपचाप्र महोदय का आदेश प्राप्त है।

(विजय इंजीनियर)
सकाधि- 111
कृते मंरेप्र(का०)/सोनपुर

दिनांक:- 01.02.2021

सं०:- KA/283/IR-ID/MT/Guard/Sonpur/2020/Part-I

- प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
01. मंरेप्र(का०)/पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ।
 02. वमपचाप्र/सोनपुर। 03. स्टेडी/बरौनी/सोनपुर।
 04. संबंधित कर्मचारी। 05. अभिलेख प्रति।
 06. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी, अजा-अजजा एशो०/सोनपुर मंडल।

कृते मंरेप्र(का०)/सोनपुर